Number of Case

Versus

Date	Order with initials of Presiding Officer
18/01/24	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप. वकील अप्रार्थीगण उप। बारे प्रा. पत्र धारा 212 R.T.Act पर बहस हेतु वकील प्रार्थी ने समय चाहा। जो स्वीकार किया जाकर पत्रावली दिनांक 29/01/2024 को पेश हो। Priyanka
29/01/24	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप./ वकील अप्रार्थीगण उप./ प्रा. पत्र T.I. धारा 212 R.T.Act दोनों अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। बारे प्रा. पत्र पर अंतिम आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 30/01/2024 को पेश हो। Priyanka
30/01/24	पत्रावली पेश। उभयपक्ष बहस पर किया गया। मुताबिक बहस प्रार्थी- "विवादित भूमि पुश्तैनी है। पूर्व में प्रार्थी के बड़े पिता सोना व कानसिंह के नाम ½ - ½ हि. दर्ज हुआ। सोना के अविवाहित फौत होने पर व पेपसिंह S/o लक्ष्मण सिंह के फौत होने पर प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 14 का नाम दर्ज हुआ। उक्त हिस्से पर प्रार्थी व अप्रार्थी 14 कब्जा काश्त में है। अप्रार्थीगण 1 ता 13 ने राजस्व वाद सं. 79/78 भनवान काना बनाम नारायण सिंह वगैरह दायर किया, जिसे अदम हाजिरी में खारिज कर दिया गया। इस वाद में वसीयत का कोई हवाला नहीं दिया गया। (जबकि वसीयत

Order Kind of the Case ....
Number of Case .... Year ....
.... Versus ....

Order with initials of Presiding Officer	Brief note of th
दिनांक 15/09/76 की है।। श्रीमान अति. जि. क., जोधपुर ने वसीयत को सही नहीं माना और म्ता. पं. जोलियली को पुनः जाँच हेतु निर्देशित किया। किंतु तहसीलदार द्वारा वसीयत के आधार पर कानसिंह का नाम दर्ज कर दिया गया। जिसकी अपील श्रीमान संभागीय आयुक्त, जोधपुर के समक्ष विचाराधीन है। अप्रार्थी सं. 01 ता 13 का विवादित भूमि पर कब्जा भी नहीं है। ख. सं. 78 में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 14 के रहवासीय मकान बने हुए हैं तथा ख. सं. 20, 22, 23, 24 पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 14 का कब्जा है। अतः प्रा. पत्र स्वीकार करते हुए ताफैसला मूलवाद अप्रार्थी सं. 01 ता 13 को पाबंद किया जावे कि वे विवादित भूमि के मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें।"	
मुताबिक बहस अप्रार्थी-" विवादित भूमि वक्त settlement से अप्रार्थी सं. 01 ता 13 के दादा कानसिंह के नाम दर्ज थी। कानसिंह के फौत होने पर घेवरसिंह, गुमानसिंह पुत्र के नाम दर्ज हुए। घेवरसिंह, गुमानसिंह फौत होने पर अप्रार्थी सं. 01 ता 04 व 09 ता 13 के नाम दर्ज हुए। अप्रार्थी सं. 05 ता 08 द्वारा हक तर्कनामा निष्पादित कर दिया गया है, ये अनावश्यक पक्षकार हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 14 बतौर खातेदार भूमि पर काबिज नहीं हैं। कानसिंह के द्वारा सोना का खाना-पीना, लगान आदि जमा किया जाता था, इसलिए सोना ने अपना हिस्सा कानसिंह के हक में वसीयत कर दिया। सोना का देहांत होने पर पटवारी हल्का द्वारा उसका हिस्सा	

Number of ... Versus ...

Date	Order with initials of Presiding Officer
	प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 14 के नाम दर्ज कर दिया गया। उक्त mutation की appeal में श्रीमान अति. जि. क. महोदय द्वारा दोनों पक्षों को सुनते हुए कब्जे के आधार पर mutation करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर तहसीलदार द्वारा कानसिंह का नाम दर्ज किया गया। उक्त आदेश की appeal अति. सं. प्रा. महोदय के समक्ष की गई। जिसमें तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात mutation दर्ज हो। उक्त की पालना में तहसीलदार द्वारा पुनः कानसिंह का नाम दर्ज किया गया। इस mutation सं. 28 को आज दिनांक तक चुनौती नहीं दी गई है। अप्रार्थी सं. 01 ता 13 विवादित भूमि पर काबिज है। प्रार्थी द्वारा वसीयतनामा मनसूख करने के लिए भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अधि. द्वारा कुछ citations पेश किये गये, जो निम्नानुसार है-
	1. Dilboo v/s Dhanraji (2000) – "true owner can't be restrained by injunction against him".
	2. Thomas Cook (India) Ltd. v/s Hotel Imperial (2006), Delhi High Court judgement – "Plantiff is not entitled to relief of permanent injuction against def 1 (true owner). अतः प्रा. पत्र अस्वीकार किया जावे।"
	उपरोक्त तथ्यों, बहस, दस्तावेजों के आधार पर प्रा. पत्र का निस्तारण निम्नानुसार

Kind of the Case ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Order with initials of Presiding Officer	Brief note of ... of the ...
किया जाता है- प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होते हैं, अतः प्रा. पत्र अस्वीकार किया जाता है। आदेश खुले में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल-दफ्तर हो। Priinka सहायक कलक्टर एवं ... मजिस्ट्रेट (FT), ...	